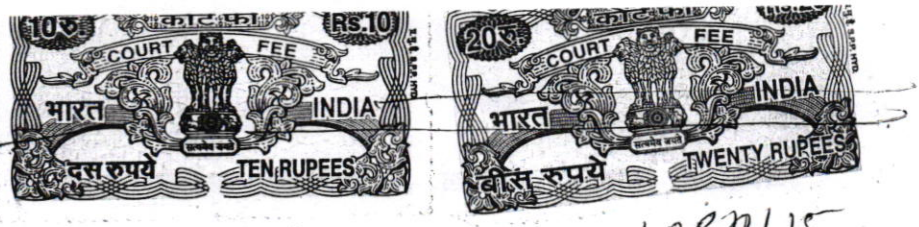

(80)

Reg / 3085 / PBR / 15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–ग्वालियर

1– रामनाथ पुत्र स्व. श्री देवलाल गुर्जर
2– सभाराम पुत्र स्व. श्री देवलाल गुर्जर
निवासी – ग्राम पिपरौली जिला–ग्वालियर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– प्रवेश अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल
निवासी – शारदा बिहार कालौनी सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.)
2– आस्था समाजिक संस्था समिति ग्वालियर द्वारा सचिव श्रीमती नीता पहाडिया पत्नी डॉ. योगेन्द्र पहाडिया निवासी–दौलतगंज लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
3– डॉ. मुकुल तिवारी पुत्र श्री पूनमचन्द्र तिवारी
4– डॉ. अर्चना तिवारी पत्नी मुकुल तिवारी
निवासी – विश्वविद्यालय रोड़ ठाटीपुर ग्वालियर (म.प्र.)
5– मध्य प्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 156/2014–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 28.04.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3085–पीबीआर/15 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–2–2018	प्रकरण की ग्राह्यता के संबंध में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28–4–2015 का है, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 11–9–2015 को प्रस्तुत की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में अपील निगरानीकर्ता के द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी तथा आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता को सुनने के उपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है । आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आदेश को उभयपक्ष के अभिभाषकगण के द्वारा पांचवे तथा छठवें महिने में नोट भी किया गया है, ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में यह निगरानी स्पष्टतः समय बाह्य पेश की गई है तथा इसी आधार पर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है । 2/ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विक्रय पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय में आवेदक की ओर से संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत इंद्राज दुरूस्ती की मॉग की गई, जो कि प्रथमदृष्टया ही नियमानुकूल नहीं है । आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के द्वारा व्यवहार न्यायालय में दायर वाद राजीनामा के आधार पर खारिज किया जा चुका है । उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो के विरूद्ध इस निगरानी को सुनवाई हेतु ग्राह्य करने के पर्याप्त आधार भी उपलब्ध नहीं है । अतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	